

भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*127  
उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026  
20 माघ, 1947 (शक)

### पोषण अनुपूरक परीक्षण रेफरल प्रयोगशालाएं

†\*127. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर तथा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), हैदराबाद में नई प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन भारत की डोप-रोधी अवसंरचना को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (डब्ल्यूएडीए) के मानकों के अनुरूप किस प्रकार संरेखित करता है;

(ख) राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी), अहमदाबाद 2030 और ओलंपिक जैसे वर्ष 2030 के प्रमुख खेल आयोजनों के लिए प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों में अनजाने में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन (डोपिंग) को रोकने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और एनएफएसयू के ढांचे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) से किस प्रकार "आत्मनिर्भर" तरीके से अनुपूरक आहार (सप्लीमेंट टेस्टिंग) की जांच सुनिश्चित होने की संभावना है;

(ग) क्षेत्र की जनजातीय खेल प्रतिभाओं को लाभ पहुंचाने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नामित एनएफएसयू, गांधीनगर के उक्त उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण प्रोटोकॉल का विस्तार छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इसके परिसर में करने के लिए योजनाबद्ध तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2030 के खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए स्वदेशी परीक्षण सुविधाओं की स्थापना से भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में किस प्रकार सुधार हुआ है; और

(ङ) नई एफएसएसएआई रेफरल प्रयोगशाला के दर्जे से ग्रामीण खिलाड़ियों को सुरक्षित और निषिद्ध पदार्थ मुक्त उत्पादों की सुलभता सुनिश्चित करके छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पोषक तत्वों की खुराक को मानकीकृत करने में किस प्रकार सहायता 'मिलने की संभावना है?

उत्तर  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री  
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ड) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

पोषण अनुपूरक परीक्षण रेफरल प्रयोगशालाएं के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दिनांक 09.02.2026 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*127 के भाग (क) से (ड) के संबंध में संदर्भित विवरण।

(क) राष्ट्रीय न्यायलयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), हैदराबाद में स्थित पोषण पूरक परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन, भारत की डाप-रोधी अवसंरचना को विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (डब्ल्यूएडीए) के मानकों के अनुरूप सुदृढ़ करता है। आईएसओ/आईईसी 17025:2017 मानकों के अनुपालन में संचालित ये प्रयोगशालाएँ डब्ल्यूएडीए द्वारा निषिद्ध पदार्थों के लिए पोषण पूरकों की गुणवत्ता-जांच परीक्षण संभव बनाती हैं और इस प्रकार, भारत के डाप-रोधी तंत्र की विश्वसनीयता को बढ़ाती और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करती हैं।

(ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएस), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और एनएफएसयू के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से स्वदेशी पोषण पूरक के परीक्षण हेतु एक एकीकृत संस्थागत ढाँचा स्थापित हुआ है। यह ढाँचा “आत्मनिर्भर भारत” के उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि इससे देश के भीतर ही समयबद्ध और वैज्ञानिक रूप से खिलाड़ियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पूरक-आहारों का सुदृढ़ परीक्षण सुनिश्चित होता है, जो कि विशेषकर राष्ट्रमंडल खेल 2030 और ओलंपिक खेलों जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के दौरान, अनजाने में डोपिंग की संभावना को कम करता है। घरेलू परीक्षण से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन भी रुकता है और भारत में निर्मित पूरक आहारों पर विश्वास बढ़ता है।

(ग) वर्तमान में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर में पोषण पूरक परीक्षण प्रयोगशाला कार्यशील है, जिसे खिलाड़ियों के लिए पोषण पूरक परीक्षण में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई-एनएसटीएस) के रूप में नामित किया गया है और यह रायपुर, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों से प्राप्त नमूनों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह प्रयोगशाला एक केंद्रीकृत सुविधा के रूप में कार्य करती है, जो पूरे देश में समान परीक्षण मानकों को सुनिश्चित करती है।

(घ) स्वदेशी, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण सुविधाओं की स्थापना भारतीय पोषण पूरक उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है। आईएसओ/आईईसी 17025:2017 और एफएसएसएआई मानकों का अनुपालन सटीकता, अनुरेखणीयता और नियामक अनुपालन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदंडों को सुनिश्चित करता है। इससे उच्चतर विनिर्माण मानकों को बढ़ावा मिलता है, प्रमाणन की समयसीमा और लागत कम होती है और 2030 राष्ट्रमंडल खेल जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों से जुड़े वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्माता प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं।

(ड) प्रयोगशालाओं को एफएसएसएआई रेफरल प्रयोगशाला के रूप में नामित किए जाने से छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में पोषण तत्वों की सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकीकरण हेतु एक सुदृढ़ तंत्र उपलब्ध होता है। रेफरल प्रयोगशाला के रूप में यह एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित मानकों के तहत पुष्टिकारी परीक्षण और नियामक सत्यापन करती है। यह ढाँचा सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और निषिद्ध पदार्थों से मुक्त पूरक प्राप्त हो सके, जिससे सभी क्षेत्रों में समान वैज्ञानिक सुरक्षा उपाय लागू हो सकें।

\*\*\*\*\*